न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 130/2019
निर्णय दिनांक:– 21.08.2020

बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोक

बनाम

1–लक्ष्मीनारायण पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा
2. रामखिलाडी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा
3. संतरा पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा
4– तहसीलदार जी, तहसील उनियारा जिला टोक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:– श्री बाबूलाल जैन वकील प्रार्थी

निर्णय

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 583 रकबा 0.32 हैक्टर वाके ग्राम पाटोली तहसील उनियारा जिला टोक मे है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के तन्हा खातेदारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थी निरन्तर बिना किसी बाधा काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर खसरा नम्बर 571 गै0मु0 रास्ता सिवायचक पर होकर आता जाता रहा है। इसी रास्ते से अपने खेती के उपकरण ट्रेक्टर आदि भी ले जाता रहा है। उक्त गै0मू0 रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की खातेदारी के खेत में आने जाने को कोई ओर रास्ता नही है।

प्रतिपक्षीगण ने उक्त खसरा नम्बर 571 गै0मु0 रास्ते को तारबन्दी कर कांटों की बाड लगाकर आने जाने के रास्ते को अवरुद्व कर दिया है। जिससे प्रार्थी की काश्तशुदा फसल नष्ट होने की संभावना है तथा प्रार्थी के जायज हक व अधिकारो से प्रार्थी वंचित हो जायेगा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया है। प्रतिपक्षी नम्बर 4 तहसीलदार उनियारा से मौके का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 वाके ग्राम पाटोली मे आराजी ख0न0 583 रकबा 0.32 है0 प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी क्षरा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल नक्शा ट्रेस ग्राम पाटोली भी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 571 जो नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–73 में खाता संख्या 1 सिवाय चक में गै0मु0 रास्ते के रुप में राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त गै0 मु0 रास्ता प्रार्थी

उप खण्ड अधि॰
उनियारा

...खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 583 तक जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार उनियारा के अनुसार ... प्रार्थी के खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 583 तक आने जाने हेतु खसरा नम्बर 571 में ... मीटर चौडा रास्तो राजस्व रिकार्ड के अनुसार उपलब्ध है जो वर्तमान में भी लगभग 8 ... मीटर चौडा चालु है जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नही है। चुकि प्रार्थी के पास राजस्व रिकार्ड के अनुसार पूर्व में ही अपनी खातेदारी पर आने जाने हेतु उचित चौडाई का रास्ता है जिसका विवरण प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में भी किया है। प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क अनुसार "**कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।**"

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी को उसकी खातेदारी की भूमि ख0न0 583 ... ग्राम पाटोली तहसील उनियारा मे आने जाने के लिये उपलब्ध रास्ते आराजी ख0न0 571 में आवागमन में किसी प्रकार की बाधा है तो विधिसम्मत रुप से कार्यवाही कर रास्ते के अवरुद्ध को हटाया जाकर रास्ते को बाधारहित कर पूर्णरुपेण चालू करवाये। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक